तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/12/2022

उपस्थितः-

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

-:आदेशः-

यह अपील सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 47/2019 बउनवान शांताबाई बनाम ओमप्रकाश में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 व मृतक शांताबाई की ओर से दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2019 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 न तो खातेदार है, न ही इनका कब्जा है। म्यूटेशन संख्या 371 लगभग 48 वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुका है तथा 48 वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुका है तथा वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का निर्विवाद कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2019 में यह अंकित किया है कि- "अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरूद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सायलान की पैतृक पुश्तेनी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 449 रकबा 56-03 बीघा, खसरा नम्बर 447 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नम्बर 448 रकबा 0-15 बीघा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आयी हुई हैं। उक्त आराजी में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.04.2019 तक बैचान नहीं करने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं।" न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण के द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर आदेश दिनांक 02.04.2019 पारित करते हुऐ स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार आलोच्य आदेश अंतरिम आदेश है और मूल वाद न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में लम्बित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का निर्णय वाद के अन्तर्गत बाद साक्ष्य होगा परन्तु न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण के द्वारा पारित आदेश व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(अ) के तहत बनाये गये प्रावधानों के विपरीत है। आदेश दिनांक 02.04.2019 को पारित किये जाने के बाद पेशी दिनांक 10.04.2019 नियत की गई। जिसके पश्चात् 2 वर्ष तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। जबकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय 30 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए था जो आज दिवस तक नहीं हुआ है। रेंस्पोडेण्ट के द्वारा मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से उपरोक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा रही है और न्यायालय के द्वारा भी आदेश 39 नियम 3 (क) जा. दी. के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। एक माह के अन्दर निस्तारण नहीं करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को आदेशिका में उसका कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। सहायक कलेक्टर जैतारण से यह अपेक्षित था कि दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन की अवधि में करते। उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया जाकर सिर्फ आगामी तारीख पेशियां दी जा रही है, जिसे न्याय की दृष्टि में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उक्त मत को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैन्च ने 2014 डी एन जे पेज 67 में व्यक्त किया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– The Trial Court shall be under obligation to dispose of the application of

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

temporary injunction on merits within 30 days of passing such ex parte order as per Rule 3-A of order 39 of the Code.

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 02.04.2019 को सीपीसी के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों द्वारा स्थापित न्यायिक सिद्धांत – "जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थतता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।" की पालना नहीं करना कतई उचित नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी में हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं? इन तथ्यों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद में तनकीयात विनिश्चत होने पर ही संभव होगा। किन्तु दौराने वाद राजस्व रेकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज होने से उक्त वादस्थ भूमि का बेचान, हस्तान्तरण होता है तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढ़ने की आंशका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2019 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली